संख्याः 576(1)/XVII(2)/2009

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एव बाल विकास अनुभाग देहरादून दिनांकः 05 मई, 2009

विषयः— चालू वित्तीय वर्षः 2009–10 में दिनांक 01–04–2009 से 31–07–2009 तक लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड से सम्बन्धित अनुदान संख्याः 15, 30 एवं 31 की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 53/आई0सी0डी0एस0/लेखा अनुदान/2009–10 दिनांक 15–04–2009 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 205/XXVII(1)/2009 दिनाँक 25–03–2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड की अनुदान संख्याः 15, 30 एवं 31 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संलग्न विवरणानुसार आयोजनागत पक्ष में रू0 611402.00 हजार (रू0 इकसठ करोड चौदह लाख दो हजार मात्र) एवं आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 1433.00 हजार (रू0 चौदह लाख तैंतीस हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू 612835.00 हजार (रू0 इकसठ करोड अठ्ठाईस लाख पैंतीस हजार मात्र) को इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आवश्यक वचनबद्ध मदों यथा वेतन, मंहगाई भत्ते, अन्य भत्ते तथा अनुदान के रूप में वेतन एवं वचनबद्ध मदों में मजदूरी, विद्युत देय, जलकर, किराया, पेंशन, औषधि, भोजन व्यय, पैट्रोल, टेलिफोन तथा अन्य आवश्यक व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु किया जायेगा। उक्त मदों से भिन्न मदों एवं समस्त चालू निर्माण कार्य, नये निर्माण कार्य, उपकरण व संयन्त्र का क्रय तथा वाहन क्रय की स्वीकृतियों के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

2. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व आपका होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जायेगाः—

1. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

2. लेखानुदान द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।

3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

4. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोडी जाय।

5. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्कतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, संपूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

6. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत कार्यालयों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

7. मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. आवंटन के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जायें।

9. निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय जिस हेतु निर्माण की समय सारिणी इस प्रकार तैयार की जाय कि

निर्माण हेतु उपयुक्त माहौ/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके। साथ ही वित्त विभाग के आदेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15–12–2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेन्सी से एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।

10. समस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्य प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध कराएं।

11. निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षण अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों की लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण अनिवार्य रूप से किया जाय।

12. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो समयानुसार उसकी मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

13. किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

14. वचनबद्ध मदों के अतिरिक्त अन्य मदों में धनराशि व्यय किए जाने से पूर्व नियमानुसार आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

15. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

17. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।

18. छठ वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2009–10 में 30 प्रतिशत एरियर की धनराशि जो कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि खाते में डाली जानी है का भुगतान 01.04.2009 से 31 जुलाई 2009 तक के लेखानुदान प्रावधानित धनराशि से नहीं किया जाएगा तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 में देय 40 प्रतिशत वेतन एवं भत्तों के एरियर की धनराशि यदि किसी कारणवरण सामान्य भविष्य निधि खाते में नहीं डाली जा सकी हो तो उसका भुगतान भी माह जुलाई 2009 के बाद ही किया जाएगा। यह प्रतिबन्ध सेवा निवृत्त होने वाले अथवा अन्य कारणों से सेवा में बने न रहने वाले कार्मिकों के संबंध में नहीं रहेगा।

19. बी.एम.–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

20. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय व्यय के अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्न ... तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जाएगा।

21. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 205/XXVII(1)/2009 दिनाँक 25–03–2009 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रही है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्याः 576 (1)/XVII(2)/2009तददिनाँक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव